## न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 77/2019

1 ताराचन्द पुत्र रूपा।
2 नेतराम पुत्र रूपा।
3 रामस्वरूप रूपा समस्त जाति जाट निवासीगण चिमाकाबास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 कमला देवी पत्नी बुद्वराम।
2 हरिसिंह पुत्र मल्लूराम।
3 सुबेसिंह पुत्र मल्लूराम।
4 अमित पुत्र हनुमान।
5 राजेश पुत्र हनुमान।
6 राजेश कुमारी पुत्री हनुमान।
7 बुद्वराम पुत्र चन्दगीराम।
8 मांगेराम पुत्र चन्दगीराम।
9 कमला पुत्री चन्दगीराम।
10 शांति पत्नी चन्दगीराम।
11 सूरत सिंह पुत्र चन्दगीराम।
12 केशराम पुत्र कुरड़ाराम समस्त जाति जाट निवासीगण चिमाकाबास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
13 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक बडोदा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

14 झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सूरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक झुंझुनू केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
15 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बलौदा जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा बलौदा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
16 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखोद जरिये शाखा प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जाखोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान।
17 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान।
18 मनोहर उर्फ मनोहरी पत्नी हनुमानराम जाति जाट निवासी चिमाकाबास तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ दिनांक 05.07.2019 वाद संख्या 172/2018 उनवानी कमला देवी बनाम हरिसिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री प्रमोद पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रवि कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 07.04.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 172/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 05.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने भूमि खसरा नम्बर 19,78,83,84 वाके ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ बाबत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री से प्राथमिक डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को जवाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नही किया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 05.07.2019 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के जवाब हेतु अवसर चाहने का अंकन है। किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना अवसर दिये उसी दिन प्राथमिक डिक्री जारी कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन का वाद लम्बित था पक्षकारों के हिस्सो को लेकर कोई विवाद नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी करने में कोई विधिक भूल नही की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार तलबी पूर्ण किये बिना, जवाब दावा प्राप्त किये बिना, तनकीयात कायम किये बिना सरसरी तौर पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.05.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर